भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर मध्यप्रदेश (केम्प उज्जैन म.प्र.)

निग – 890 – III – 16

प्र.क्र. /2016 निगरानी

विक्रमसिंह पिता गंगाराम जाति राजपूत निवासी ग्राम बुरलाय तहसील मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर म.प्र.
.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

रोहित भट्ट पिता सुधीर भट्ट निवासी भट्ट मोहल्ला शाजापुर तहसील एवं जिला शाजापुर म.प्र. .... विपक्षी

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
अभि द्वारा कैम्प उज्जैन
प्र प्रस्तुत
10/3/16

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959. विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.2016 प्रकरण क्रमांक 136/2014–15द्वितीय अपील रोहित भट्ट विरूद्ध विक्रमसिंह न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन सम्भाग उज्जैन जिसके द्वारा प्र. क्र. 133 अपील 2013– 14 प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के आदेश दिनांक 13.10.2014 एवं तहसील न्यायालय मोहन बड़ोदिया के प्र. क्र. 18 अ 6/2010–11 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 26.07.2011 को निरस्त किया गया है।

राजेन्द्रसिंह चौहान
रिडर कैम्प उज्जैन
10/3/16

श्रीमान जी,

निगरानी कर्ता की ओर से माननीय न्यायालय में निगरानी अवधि के अन्दर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है।

: संक्षिप्त विवरण :

1. यह कि विपक्षी ने हितबद्ध पक्षकार नहीं होते हुए भी निगरानीकर्ता के पक्ष में वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय मोहन बड़ोदिया के नामान्तरण आदेश दिनांक 26.07.2011 के विरूद्ध 3 वर्ष 5 दिन म्याद बाहर अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के न्यायालय में पेश की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.10.2014 के द्वारा 3 वर्ष से अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के विलम्ब का स्पष्टी करण नहीं देने, कोई ठोस आधार/प्रमाण अथवा कारण स्पष्ट नहीं करने के आधार पर अपील अमान्य घोषित कर अपील निरस्त की। जिसके विरूद्ध विपक्षी ने हितबद्ध पक्षकार नहीं होते हुए भी द्वितीय अपील अपर आयुक्त महोदय उज्जैन सम्भाग उज्जैन के समक्ष पेश की। अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय ने द्वितीय अपील पर धरा 5 अवधि विधान पर कोई स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया एवं इस बात की भी जॉच नहीं की कि जो व्यक्ति हितबद्ध पक्षकार नहीं है। जो तहसील न्यायालय मोहन बड़ोदिया में नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार भी नहीं रहा हो वह द्वितीय अपील कर ही नहीं सकता है। क्योंकि अपील वही पक्षकार कर सकता है, जो हितबद्ध पक्षकार हो अन्यथा कोई भी व्यक्ति नामान्तरण के आदेश के विरूद्ध अपील कर ही नहीं सकता है। यह विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त होने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन सम्भाग उज्जैन ने दोनो अधिनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के अपीलीय आदेश एवं तहसील न्यायालय मोहन बड़ोदिया के नामान्तरण आदेश को निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है। जबकि विपक्षी ने हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के बाद भी अपर आयुक्त

अपर आयुक्त महोदय ने दोनो अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा दिये गये वैधानिक आदेशों को निरस्त करने में विधि की भूल की है और प्रकरण को विधिवत पूर्ण साक्ष्य लेकर निर्णय करने के लिए तहसील न्यायालय को रिमाण्ड करने के बजाय प्रकरण का निराकरण म. प्र.भू.रा.संहिता की धारा 177 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने में विधि की गंभीर भूल की है। जिससे दुखित होकर यह निगरानी अवधि के अन्दर निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

R 890-III/16 शाजापुर

विक्रमसिंह / रोहित

21.10.2016	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री दिनेश व्यास अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष	21.10.16